वर्षा बीमा

- दक्षिण–पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा में प्रतिकूल विचलन, कम या अधिक दोनों, होने के प्रति संरक्षण
- चरण विशेष में वर्षा में प्रतिकूल विचलन के प्रति लचीले प्रीमियम के साथ संरक्षण
- अधिकतम दायित्व खेती की लागत से संबद्ध और फसल–दर–फसल परिवर्तनशील
- दावों का शीघ्र निपटान संभव–साधारणतः बीमा अवधि के पश्चात 4–6 सप्ताह के अंदर

भारतीय कृषि का 65 प्रतिशत प्राकृतिक कारकों, विशेष रूप से वर्षा पर पूरी तरह निर्भर करता है। अध्ययन बताते हैं कि वर्षा की मात्रा में उतार–चढ़ाव होने पर उपज में 50% से अधिक की कमी हो सकती है। वर्षा बीमा व्यक्तियों और संस्थाओं को, जो प्रतिकूल वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं, प्रभावी जोखिम प्रबंधन उपलब्ध कराता है। वर्षा बीमा के महत्वपूर्व हितलाभ निम्नलिखित हैं।

- प्रेरक घटनाएँ जैसे प्रतिकूल वर्षा को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया और मापा जा सकता है।
- यह उत्पाद क्षतिपूर्ति अवधि के पूरा होने के एक पखवाड़े के भीतर क्षतिपूर्ति के त्वरित निपटान को संभव बनाता है।
- सभी किसान चाहे वे कर्जदार हों या न हों, छोटे/सीमांत या अन्य, मालिक या काश्तकार/बटाईदार–इस बीमे को खरीद सकते हैं।
- वर्षा बीमा किसान समुदाय के विभिन्न तबकों को विभिन्न अपेक्षाओं के अनुसार पारदर्शी, पूर्णतः वस्तुपरक और लचीला प्रीमियम और क्षतिपूर्ति संरचना उपलब्ध कराता है।

- वर्षा बीमा में व्यापक संरक्षण विकल्प मौजूद हैं–'असफल बुवाई' जोखिम, मौसमी वर्षा, वर्षा सूचकांक, इत्यादि।
- वर्षा बीमा में देय भुगतान पारदर्शी, पर्याप्त और प्रत्यक्ष हैं और इसलिए सरकारी राहत से अधिक प्रभावशाली, वैज्ञानिक और विश्वसनीय हैं।

योजना के मुख्य विशेषताएँ

विस्तार–वर्षा बीमा प्रतिकूल वर्षा के कारण उपज में प्रत्याशित कमी को संरक्षण प्रदान करता है। केवल वही किसान जिन्हें प्रतिकूल वर्षा के कारण वित्तीय हानि हो सकती है, इस योजना के अंतर्गत बीमा करा सकते हैं। वर्षा बीमा सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध है।

बीमा अवधि–यह बीमा जून से सितबंर तक अल्पावधि फसलों के लिए, जून से अक्तूबर तक मध्यावधि फसलों के लिए और जून से नवंबर तक दीर्घावधि फसलों के लिए लागू होता है। कि ये अवधियाँ राज्य–विशेष के अनुसार हैं। 'असफल बुवाई' का विकल्प 15 जून से 15 अगस्त की अवधि के लिए है।

- बीमा खरीदने की अवधि–कोई भी किसान 'असफल बुवाई' के लिए 15 जून तक और अन्य विकल्पों के लिए 31 मई तक इसे खरीद सकता है।

दावा देय कैसे बनता है–वर्षा बीमा प्रतिकूल वर्षा होने पर व्यापक स्तर पर भुगतान करता है। जब बीमा अवधि के दौरान 'सामान्य वर्षा' से कम 'वास्तविक वर्षा' होती है तो दावा पैदा होता है। ऐसे मामलों में समझा जाता है कि उस फसल विशेष और संरक्षण विकल्प के सभी बीमाधारक किसानों को वर्षा में विचलन के कारण हानि हुई है, अतः वे सभी दावे के हकदार हैं। वर्षा के आँकड़े मौसम के दौरान भारतीय मौसम विभाग द्वारा उनकी वेधशाला में या अन्य निर्धातित वर्षा–मापी स्टेशन पर मापे जाते हैं।

वर्षा बीमा संरक्षण विकल्प

विकल्प 1 –मौसमी वर्षा बीमा

विकल्प 2–वर्षा वितरण सूचकांक

विकल्प 3–बुवाई असफलता

बीमा राशि : बीमा राशि पूर्व–निर्धारित होती है और अक्सर यह उत्पादन की लागत और उत्पाद की कीमत के बीच होती है। 'असफल बुवाई' में यह वह अधिकतम लागत होती है जो किसान ने बुवाई अवधि के अंत तक सामान्यतः लगाई होती है, यह भी पूर्व–निर्धारित होती है।

प्रीमियम : यह पूर्व–निर्धारित होता है और अलग–अलग विकल्पों और अलग–अलग फसलों के लिए अलग–अलग हो सकता है। विभिन्न फसलों/इलाकों/संरक्षण विकल्पों के लिए प्रीमियम 5% से 8% के बीच होता है।

समय अनुसूची और दावा भुगतान की प्रक्रिया–दावे की मात्रा का निर्धारण करने की प्रक्रिया स्वचालित है। इसके लिए बीमाधारक किसान को 'हानि की सूचना' या 'दावे की सूचना' देने की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतः दावों का भुगतान बीमा अवधि से 45 दिन के भीतर वास्तविक वर्षा के आँकडों के आधार पर किया जाता है।

केवल उत्पाद की जानकारी के लिए, शर्तें लागू।

बीमा आग्रह की विषय वस्तु है।

कृषक यत्न रक्षणम्

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्या.: "अम्बादीप" (तेरहवां तल), 14, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001

फोन.: 91-11-46869800, फैक्स : 91-11-46869815, ई–मेल : aicho@aicofindia.com वेबसाइट : www.aicofindia.com

किसानों को समर्पित सेवा का एक दशक 2003 - 2013

AICHO/12-13/1C/WB